अंक 32 । संख्या 11 । नवंबर 2025

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

रिपोर्ट: एनएचआरसी, भारत का स्थापना दिवस

परामर्श

- 'जेल कैदियों के मानव अधिकार ' पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- राष्ट्रीय सम्मेलन: जनजातीय कलाएँ और भारत का संरक्षण लोकाचार – जीवंत ज्ञान

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 32 । संख्या 11 । नवंबर 2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

▶ सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ लेते एनएचआरसी के अधिकारी और कर्मचारी

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

रिपोर्ट

4 एनएचआरसी, भारत का स्थापना दिवस

परामर्श

7 'जेल कैदियों के मानव अधिकार ' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

9 राष्ट्रीय सम्मेलन: जनजातीय कलाएँ और भारत का संरक्षण लोकाचार – जीवंत ज्ञान

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

14 एनएचआरसी ने सर्दियों के दौरान बेघर और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय करने का आग्रह किया

15 स्वत: संज्ञान

17 राहत के लिए सिफारिशें

18 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

18 केस स्टडी

19 घटना स्थल पूछताछ

20 **क्षेत्रीय दौरे**

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

21 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप

22 प्रशिक्षण कार्यक्रम

23 सहयोगात्मक सम्मेलन

23 ज्ञानार्जन दौरे

24 **अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी**

25 **राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार**

27 **संक्षेप में समाचार**

31 **आगामी कार्यक्रम**

31 **अक्टूबर 2025 में शिकायतें**

▶ एनएचआरसी कर्मचारियों के बच्चे पर्यावरण विषय पर अपने विचार चित्रित करते हुए

RNI No. 61957/95

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

मासिक विवरण

अक्टूबर का महीना देश के प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के हमारे सामूहिक प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। आयोग ने अपना 32वाँ स्थापना दिवस 16 अक्टूबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'जेल के कैदियों के मानव अधिकारों' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके मनाया। इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिनका जीवन और नेतृत्व, विनम्रता, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण लाखों लोगों को प्रेरित करता है। शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा साधन मानने में उनका विश्वास आज भी गहराई से प्रतीत होता है।

अपनी स्थापना के बाद से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारत में मानव अधिकारों के विवेक-संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए, समाज के सबसे कमजोर वर्गों की गरिमा की रक्षा करते हुए, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। स्थापना दिवस समारोह न्याय, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के हमारे साझा संकल्प की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है, जो भारत के संविधान में निहित मूल मूल्य हैं। आयोग जोखिम भरे पदार्थों के निपटान के लिए मशीनीकृत तरीकों को बढ़ावा देकर हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने जैसे मुद्दों के साथ-साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य, भिक्षावृत्ति, वृद्धजनों के अधिकारों और LGBTQI चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर भी काम कर रहा है। 10 अक्टूबर वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक कलंक के विरुद्ध समर्थन के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी है। एनएचआरसी की पहल इसमें मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण, युवाओं की आत्महत्या पर कार्रवाई-उन्मुख सम्मेलन और रैगिंग रोकने पर चर्चाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकारों आयोग, भारत की शक्ति नैतिक अधिकार, जन विश्वास और नैतिक नेतृत्व में निहित है। आयोग मानव अधिकार उल्लंघनों का सक्रिय रूप से स्वतः संज्ञान लेता है और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देकर शासन प्रणालियों में सहानुभूति और जवाबदेही का निर्माण करने के लिए कार्य करता है। आयोग विश्वविद्यालयों में मूट कोर्ट, इंटर्नशिप और आउटरीच के माध्यम से युवाओं से जुड़ता है, अधिकारों के प्रति जागरूक नागरिकों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करता है, साथ ही वैश्विक मंचों पर संवाद को बढ़ावा देता है और वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकारों संस्थानों (एनएचआरआई) के साथ जुड़कर दक्षिण-दक्षिण सहयोग का निर्माण करता है।

30 सितंबर 2025 तक, लगभग 32 वर्षों में, आयोग ने 23.5 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया है, जिनमें लगभग तीन हज़ार स्वतः संज्ञान मामले शामिल हैं। इसने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को 8,924 मामलों में 263 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आर्थिक राहत की सिफ़ारिश की है। पिछले साल ही, अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक, आयोग ने 108 स्वतः संज्ञान मामलों सहित 73 हज़ार से ज़्यादा शिकायतों का निपटारा किया। इस दौरान, आयोग ने 63 घटना स्थलपर जाँच की; 38 हज़ार से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया और 210 मामलों में लगभग 9 करोड़ रुपये की आर्थिक राहत की सिफ़ारिश की। न्यूज़लेटर के इस संस्करण में एक विस्तृत रिपोर्ट दी गई है।

स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 'जेल कैदियों के अधिकार' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, जेल कैदियों की मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार हेतु संवाद को मुख्यधारा में लाने और सार्थक कार्रवाई करने के आयोग के प्रयासों को रेखांकित करता है। दुनिया भर में जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ एक चिंता का विषय है। प्रत्येक देश को अपने कानूनों और नियमों के अनुरूप इस समस्या के समाधान हेतु अपने-अपने समाधान खोजने होंगे। लेकिन सभी के लिए एक समान मूलभूत बात यह है कि एक कैदी, किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह, बुनियादी मानव अधिकारों का हकदार है। ऐसे अधिकारों से वंचित करना कानून के तहत उसकी सजा का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। जेलों को केवल सजा के स्थान के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्वास, शिक्षा और सुधार के संस्थानों के रूप में देखा जाना चाहिए। सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श पर एक विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने में रुचिकर लगेगी।

इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर रिपोर्टों के अलावा, इस न्यूज़लेटर में अन्य सभी नियमित विशेषताएं भी शामिल हैं, जो देश में मानव अधिकारों के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे कार्यों के विविध आयामों की समझ प्रदान करती हैं। भविष्य की ओर देखते हुए, हम एक ऐसे राष्ट्रीय मानव अधिकारों आयोग की कल्पना करते हैं जो युवाओं से अधिक जुड़ा हो, सभी को सबसे कमज़ोर लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित करे, डिजिटल रूप से सशक्त हो, और शासन एवं विकास के लिए एक नैतिक दिशानिर्देश हो। हालाँकि, मानव अधिकारों की रक्षा केवल संस्थाओं का कर्तव्य नहीं है; यह सरकार, नागरिक समाज और नागरिकों सहित सभी की साझा नैतिक ज़िम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पीछे न छूटे और सभी सम्मान के साथ रहें।

भरत लाल
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रिपोर्ट

एनएचआरसी, भारत का स्थापना दिवस

▶ भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि, श्री राम नाथ कोविन्द, एनएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बीआर षड़ंगि, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव, श्री भरत लाल, महानिदेशक (अन्वेषण), श्री आनंद स्वरुप और रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह के साथ उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय मानव अधिकारों आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 16 अक्टूबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अपने 32वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 'जेल के कैदियों के मानव अधिकारों' पर एक समारोह और राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उपस्थित विशिष्ट जनसमूह को संबोधित करते हुए, श्री कोविंद ने कहा कि मानव अधिकारों की आधुनिक व्याख्या से बहुत पहले, भारतीय ऋषियों और शास्त्रों ने धर्म की रक्षा, करुणा के साथ कार्य करने और न्याय सुनिश्चित करने के कर्तव्य की बात कही थी। यह स्थायी नैतिक आधार आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव अधिकारों की रक्षा न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक अनिवार्यता भी है, जो भारतीय जीवन शैली का अभिन्न अंग है।

श्री कोविंद ने कहा कि भारत ने मानव अधिकारों का एक मज़बूत और व्यापक ढाँचा तैयार किया है। अपनी स्थापना के बाद से, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकारों आयोग दुनिया के सबसे सम्मानित मानव अधिकारों संस्थानों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। इसका 32वाँ स्थापना दिवस मनाना सिर्फ़ एक संस्थागत मील का पत्थर नहीं है। यह हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शाश्वत मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि अपनी जाँच-पड़ताल, परामर्श, हस्तक्षेप और समर्थन के माध्यम से, आयोग ने बेज़ुबानों को आवाज़ दी है और मानव अधिकारों की चिंताओं को शासन के केंद्र में लाया है। इसने भारत के सभ्यतागत लोकाचार की पुष्टि की है कि किसी समाज का असली मापदंड यह है कि वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्य के साथ कैसा व्यवहार करता है।

▶ भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए

▶ समारोह में भाग लेते हुए गणमान्य व्यक्तियों का वर्ग

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले तीन दशकों में हुई प्रगति का जश्न मनाते हुए, हमें अभूतपूर्व तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तन के इस युग में उभरती और जटिल चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा। ड्राइवरों, सफाई कर्मचारियों, निर्माण श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले अनगिनत प्रवासी श्रमिकों जैसे श्रमिकों के मानव अधिकारों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग हमारे शहरों और सड़कों को चलाते हैं, वे अक्सर असुरक्षित कार्य परिस्थितियों, अनियमित आय और सामाजिक सुरक्षा के अभाव को झेलते हैं, जिससे उनके मानव अधिकारों को अक्सर जोखिम में डालना पड़ता है। उनका श्रम हमारे विकास को बनाए रखता है। इसलिए, उनका कल्याण और सम्मान हमारी सफलता का पैमाना होना चाहिए। आर्थिक प्रगति को हमेशा मानवीय गरिमा के साथ-साथ चलना चाहिए।

श्री कोविंद ने प्रवासन और लोगों के विस्थापन के कारण मानव अधिकारों पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, पहचान, सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच का हकदार है। उन्होंने कहा कि आज के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को भी मानव अधिकारों के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए और इस संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के परामर्शों की सराहना की।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि जेल के कैदियों के मानव अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। जेल अधिकारियों का यह पवित्र कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कैदी के साथ सभी मनुष्यों के प्रति मूलभूत शिष्टाचार का व्यवहार किया जाए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जेलों में जेंडर संवेदनशीलता और बाल-हितैषी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 'जेल के कैदियों के मानव अधिकारों' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जेलें केवल कारावास की जगह नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास और आशा का स्थान होनी चाहिए। उन्होंने सभी हितधारकों, विशेषकर जेल अधिकारियों से एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाने का आग्रह किया जहाँ प्रत्येक कैदी को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में पुनः एकीकृत होने का अवसर मिले।

▶ भारत के पूर्व राष्ट्रपति का भाषण सुनते हुए दर्शक

श्री कोविंद ने स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को मानव अधिकारों के मूल तत्व मानकर, सभी नागरिकों, विशेषकर समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारत की विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने जीवन को आसान बनाने के लिए पुराने कानूनों को निरस्त करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 जैसे ऐतिहासिक अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की संरक्षण और संवर्धन के प्रति हमारे देश की अटूट प्रतिबद्धता को और भी स्पष्ट करते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान हमें याद दिलाता है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ आते हैं। स्वतंत्रता का प्रयोग सर्वहित के साथ सामंजस्य बिठाकर किया जाना चाहिए। इसी भावना के अनुरूप, मानव अधिकारों की रक्षा केवल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि आयोग के स्थापना दिवस पर, आइए हम एक अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और समावेशी भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, जो वास्तव में सर्वे भवंतु सुखिनः (सभी सुखी और समृद्ध हों) की भावना को प्रतिबिम्बित करता हो। उन्होंने आग्रह किया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि न्याय,

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन सभा को संबोधित करते हुए

समानता और करुणा केवल आदर्श न हों, बल्कि सभी नागरिकों की वास्तविकताएँ बनें।

इससे पहले, एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने पिछले 32 वर्षों में आयोग के कार्यों की जानकारी दी और कहा कि आयोग ने 23 लाख से अधिक मामलों और लगभग 2,900 स्वत: संज्ञान संज्ञान के मामलों को संभाला है। इसने मानव अधिकारों उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को लगभग आठ हजार मामलों में 263 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक राहत की सिफारिश की है। इन मामलों में पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान दर्ज की गई लगभग 73 हजार शिकायतें और 100 से अधिक स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले शामिल हैं। इस अवधि के दौरान, आयोग ने 63 घटना स्थल पर जाकर पूछताछ की; 38 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को लगभग 200 मामलों में 9 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक राहत की सिफारिश की। एनएचआरसी ने मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ भी सहयोग किया है।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयगत मुद्दों पर विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के 12 कोर एडवीइजरी ग्रुप का गठन किया है ताकि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का मूल्यांकन करने और सुधार हेतु सिफ़ारिशें करने हेतु तंत्र तैयार करने में मदद मिल सके। उन्होंने पिछले वर्ष छात्रों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकारों संस्थानों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अलावा, तीन कोर ग्रुप बैठकों और चार ओपन हाउस चर्चाओं के विषयों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय मानव अधिकारों संस्थानों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बातचीत के निष्कर्षों को रेखांकित करते हुए, उन्होंने विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकारों संस्थानों के एक मंच के गठन के सुझाव का उल्लेख किया।

एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा कि आयोग, सदस्यों के कुशल मार्गदर्शन और कर्मचारियों की प्रभावी सहायता से, अपने प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा उतरने और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों की वैध अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

इससे पहले, अपने उद्घाटन भाषण में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि आयोग ने सभी के, विशेष रूप से देश के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के मानव अधिकार की रक्षा के लिए अपने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र में मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की मुख्य शक्ति इसके नैतिक और कर्तव्यपरायण नेतृत्व में निहित है। आयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे लोगों का सम्मान और विश्वास प्राप्त है, विशेष रूप से कमजोर वर्ग का, जो इसके कामकाज में विश्वास रखता है। हाल ही में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वरिष्ठ पुलिस और सुधार अधिकारियों के प्रशिक्षण, विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठियों के माध्यम से क्षमता निर्माण और संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि शासन प्रणालियों में सहानुभूति और जवाबदेही का निर्माण किया जा सके। नागरिक, यहाँ तक कि दूर-दराज के गाँवों में भी, अब 22 भाषाओं में से किसी में भी शिकायत दर्ज

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल उद्घाटन भाषण देते हुए

कर सकते हैं और पाँच लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों से जुड़े मानव अधिकार आयोग नेटवर्क (HRCnet) के माध्यम से अपनी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, जो समावेशिता और सुलभ न्याय की दिशा में एक सच्चा कदम है।

श्री लाल ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माध्यम से भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तृत हुई है। आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन, एशिया-प्रशांत मंच और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल मंच में सक्रिय भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में, आयोग मानव अधिकार के विभिन्न आयामों पर वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये पहल वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार को मज़बूत करने में भारत की प्रतिबद्धता और योगदान को दर्शाती हैं। 15 अक्टूबर 2025 को, भारत को अगले वर्ष से शुरू होने वाले 3-वर्षीय कार्यकाल (2026-28) के लिए सातवीं बार मानव अधिकार परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया। यह चुनाव मानव अधिकार के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता और उसकी वैश्विक स्थिति को दर्शाता है।

परामर्श

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत समय-समय पर विभिन्न परामर्शों का आयोजन करता है। इनमें विभिन्न हितधारकों के साथ मानव अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर सम्मेलन, ओपन हाउस चर्चाएँ, राष्ट्रीय सेमिनार और संगोष्ठियाँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श की मुख्यधारा में लाना, समस्याओं की पहचान करना और सरकार को आगे बढ़ने के लिए सुझाव देने हेतु समाधान ढूँढना है। 16 अक्टूबर 2025 को, आयोग ने अपने 32वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 'जेल के कैदियों के मानव अधिकार' पर एक ऐसा ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य जेल के कैदियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानना और सुझावों को अंतिम रूप देना था, जिन्हें केंद्र, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भेजा जा सके।

'जेल कैदियों के मानव अधिकार' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि मादक द्रव्य एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 तक वैश्विक जेलों की संख्या 1.15 करोड़ तक पहुँच जाएगी। वैश्विक जेलों की लगभग एक-तिहाई आबादी पूर्व-परीक्षण बंदियों की है, जिसका राज्य, समुदायों, परिवारों और व्यक्तियों पर भारी बोझ पड़ता है। दुनिया भर के अधिकांश देशों में जेलों में क्षमता से अधिक भीड़भाड़ है। बजट, संसाधन और क्षमता की कमी के कारण जेलों में रहने लायक स्थिति नहीं है और स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब है। हाशिए पर पड़े समुदायों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व और महिलाओं, युवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और विशेष आवश्यकता वाले अन्य कैदियों पर अपर्याप्त ध्यान देने के कारण जेलें मौजूदा असमानताओं को और मजबूत करती हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दिसंबर 2023 में जारी की गई "प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022" रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि 2020 में

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन 'जेल कैदियों के मानव अधिकार' पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए

▶ पैनल चर्चा में शामिल प्रतिभागी

देश की जेलों में कैदियों की संख्या 1306 जेलों की वास्तविक क्षमता से 118% अधिक थी। 2022 में यह बढ़कर 1330 जेलों की वास्तविक क्षमता का 131.4% हो गई। जेलों की संख्या में वृद्धि से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद के कारागारों से संबंधित विभिन्न कानूनों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हाल की पहलों में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किया गया 'आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम' भी शामिल है, जिसका उद्देश्य कारागार प्रशासन से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों का समग्र समाधान करना है। इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है ताकि वे अपने-अपने कारागार अधिनियमों में तदनुसार संशोधन कर सकें।

सम्मेलन तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित था। न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने 'कैदियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार: सलाखों के पीछे सम्मान, कल्याण और मानव अधिकार सुनिश्चित करना' विषय पर पहले सत्र की अध्यक्षता की। पैनलिस्टों में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री राकेश कुमार पांडे, इंडिया न्यायमूर्ति रिपोर्ट के सह-संस्थापक और प्रमुख श्री वलय सिंह, भारतीय जेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और टिप्पणीकार प्रो. (डॉ.) वर्तिका नंदा और स्क्वायर सर्कल क्लिनिक में मानसिक स्वास्थ्य एवं आपराधिक न्याय निदेशक सुश्री मैत्रेयी मिश्रा शामिल थे। चर्चा के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया गया कि समस्याओं के समाधान के लिए आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम के कार्यान्वयन के अलावा रचनात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोणों का सही संयोजन आवश्यक है। कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सभी हितधारकों द्वारा सहयोगात्मक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

'महिला कैदी और उनके बच्चे: जेंडर-संवेदनशील जेल सुधारों के लिए संस्थागत ढाँचे का सुदृढ़ीकरण' विषय पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता बीपीआरडी की पूर्व महानिदेशक और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कोर ग्रुप सदस्य श्रीमती मीरान चड्ढा बोरवणकर ने की। उन्होंने स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास तक पहुँच जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जेलों को शहरों से दूर स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया, जिससे कैदी अपने परिवारों से और भी दूर हो जाते हैं। पैनलिस्टों में एनसीपीसीआर की अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति गुरहा, हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ. केपी सिंह (आईपीएस), एनएचआरसी कोर ग्रुप सदस्य और प्रयास के परियोजना निदेशक प्रोफेसर विजय राघवन और इंडिया विजन फाउंडेशन की निदेशक सुश्री मोनिका धवन शामिल थीं। जिन बिंदुओं पर जोर दिया गया उनमें जेलों में अपनी माताओं के साथ रह रहे 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बारे में विश्वसनीय आंकड़ों की कमी, हिरासत में बंद महिलाओं पर राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता, बेहतर चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, मासिक धर्म स्वच्छता और अपरिहार्य गिरफ्तारियों के अलावा गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अंतरिम जमानत और रिहाई के बाद पुनर्वास में अधिक गरिमा शामिल हैं।

तीसरे सत्र की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर ने की, जिसका विषय था 'विचाराधीन कैदी: न्यायिक विलंब से निपटना, कानूनी सहायता को सुदृढ़ बनाना और कारावास के विकल्पों को बढ़ावा देना'। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायिक नियुक्तियों और प्रक्रियाओं में योग्यता को प्राथमिकता देना विलंब को कम करने का एक प्रभावी समाधान हो सकता है। 2017 से, न्यायालयों में मामलों के निपटारे की दर लगातार 100% या उससे अधिक रही है, जो स्थिर प्रदर्शन का संकेत है, लेकिन पुराने लंबित आपराधिक मामलों के कारण लगातार लंबित मामले हैं। पैनलिस्टों में श्री मनोज यादव, पूर्व महानिदेशक (अन्वेषण), एनएचआरसी, श्री नीरज वर्मा, सचिव (न्याय), विधि एवं न्याय मंत्रालय, डॉ. राकेश

▶ श्रीमती मीरान चड्ढा बोरवंकर, पूर्व महानिदेशक, बीपीआरएंडडी, पैनलिस्टों के साथ दूसरे सत्र की अध्यक्षता करते हुए

▶ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर, पैनलिस्टों के साथ तीसरे सत्र की अध्यक्षता करते हुए

कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक, एस.पी.वाई.एम. शामिल थे। चर्चा के दौरान जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, उनमें न्यायिक विलंब के प्रमुख कारणों के रूप में बार-बार स्थगन देना, न्याय तक पहुँचने में वित्तीय बाधाएँ, प्रारंभिक चरण में मामलों के निपटारे में प्ली बार्गेनिंग, मादक द्रव्यों के सेवन में खतरनाक वृद्धि, अधिवक्ताओं के बीच घटिया गुणवत्ता आदि शामिल थे।

चर्चा के दौरान, कैदियों के पुनर्वास, जेलों में भीड़भाड़ कम करने, सुधार सेवाओं को प्रोत्साहित करने, कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, महिला कैदियों और उनके बच्चों से संबंधित मुद्दों के समाधान और नशामुक्ति जैसे विषयों पर कई बहुमूल्य सुझाव सामने आए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव, श्री भरत लाल ने कहा कि सम्मेलन में प्राप्त सुझावों से आयोग को अपनी सिफारिशें पुख्ता करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आयोग समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकार की स्थिति में समग्र सुधार हेतु समाधान खोजने हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सम्मेलन आयोजित करता है।

अपने समापन भाषण में न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि आयोग अब जेल सुधारों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देने पर काम करेगा तथा प्रगति की निगरानी के लिए एक तंत्र भी विकसित करेगा।

सम्मेलन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी, महानिदेशक (अन्वेषण), श्री आनंद स्वरूप, रजिस्ट्रार (विधि), श्री जोगिंदर सिंह, संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार, राज्य मानव अधिकार आयोगों और अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, गैर सरकारी संगठन, मानव अधिकार संरक्षक, शोधकर्ता, वरिष्ठ जेल अधिकारी आदि ने भाग लिया।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल समापन सत्र में अपनी टिप्पणी देते हुए

राष्ट्रीय सम्मेलन: जनजातीय कलाएँ और भारत का संरक्षण लोकाचार - जीवंत ज्ञान

भारत की 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता विविधता में एकता का प्रतीक है, जहाँ जनजातीय समुदाय प्रकृति के साथ अपने गहरे, सामंजस्यपूर्ण संबंध के माध्यम से प्राचीन पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को संरक्षित रखते हुए जीवन और आवास की रक्षा करते हैं। इसे मान्यता देते हुए, एनएचआरसी, भारत लगातार जनजातीय अधिकारों की रक्षा करता है और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए नागरिक समाज तथा अन्य संगठनों के प्रयासों को महत्व देता है, इस पर बल देते हुए कि भारत के सतत भविष्य का आधार पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रथाओं के एकीकरण में निहित है।

'जनजातीय कला और भारत की संरक्षण लोकाचार: जीवंत ज्ञान' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन 10 अक्टूबर 2025 को इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह विरासत, संस्कृति और संरक्षण पर एक संवाद था, जिसमें एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह सम्मेलन संकला फाउंडेशन, एक गैर-लाभकारी संगठन, द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से

▶ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री और मुख्य अतिथि श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. श्री रामसुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति

▶ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए

आयोजित किया गया। दो विषयगत सत्रों में विभाजित इस सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, विद्वानों, कलाकारों और सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया ताकि यह समझा जा सके कि यह जीवंत ज्ञान समकालीन शहरी नियोजन, पर्यावरण नीति और सतत विकास को कैसे दिशा दे सकता है।

सम्मेलन का उद्घाटन संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने किया। उन्होंने भारत की जनजातीय परंपराओं और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करते हुए इसे प्रकृति को जीवंत पवित्र सत्ता के रूप में देखने वाली सभ्यतागत समझ बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनजातीय समुदायों के लिए संरक्षण केवल नीति नहीं, बल्कि मूल्य आधारित जीवनशैली है, जो उनके दैनिक अभ्यासों, अनुष्ठानों और कलात्मक अभिव्यक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

श्री शेखावत ने पारंपरिक जल प्रणाली, वन संबंधी ज्ञान और मौसमी सांस्कृतिक प्रथाओं को ऐसे मूल्यवान मॉडल बताया जो समकालीन पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने भारतीय आदिवासी कला की वैश्विक पहचान का उल्लेख करते हुए वेनिस बिएनाले 2026 में जनजातीय कला की प्रस्तुति को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने ज्ञान-संरक्षकों के लिए न्यायसंगत बाज़ार, दस्तावेज़ीकरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मान्यता सुनिश्चित करने हेतु मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया।

मुख्य वक्तव्य देते हुए श्री भरत लाल ने कहा कि जनजातीय समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रतीक हैं और उनकी कला इस श्रद्धा को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने इस विरासत को संरक्षित करते हुए जनजातीय रचनात्मकता के लिए बाज़ार विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। तीन प्राथमिकताओं—जनजातीय संरक्षण से सीखना, वनों को जलवायु व शहरी परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देना और जनजातीय आजीविकाओं को सुदृढ़ करना—को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वनों की रक्षा, उन लोगों की सुरक्षा से शुरू

▶ सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श सुनते प्रतिष्ठित प्रतिभागी

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल मुख्य भाषण देते हुए

होती है जो उन्हें संरक्षित रखते हैं। उन्होंने पुष्टि की कि जनजातीय ज्ञान आज भी सतत विकास और सार्वजनिक जीवन में नैतिक जिम्मेदारी का मार्गदर्शक है।

'जनजातीय समुदाय और संरक्षण लोकाचार' पर पहले सत्र की अध्यक्षता पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने की। उन्होंने प्रकृति को एक पवित्र और अविभाज्य शक्ति मानने वाली जनजातीय संरक्षण की गहरी नैतिक और सांस्कृतिक जड़ों को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दृष्टिकोण जो वर्चस्व के बजाय पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है आधुनिक दोहन-आधारित विकास मॉडलों के लिए एक नैतिक विकल्प प्रस्तुत करता है। नीति आयोग की जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण, वनों की कटाई और विस्थापन इस संतुलन को खतरे में डालते हैं। उन्होंने भाषण से आगे बढ़कर वास्तविक मान्यता की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए ऐसी नीतियों का आह्वान किया जो सतत संरक्षण के लिए जनजातीय ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करें। पैनलिस्टों में श्री प्रवीर कृष्ण, पूर्व सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं असम के बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के सलाहकार, प्रो. अमिताभ पांडे, निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (IGRMS), संस्कृति मंत्रालय, डॉ. एस. पी. यादव, महानिदेशक, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और श्री भरत लाल, महासचिव, एनएचआरसी शामिल थे।

▶ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री राजीव कुमार, पैनलिस्टों के साथ पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए

▶ प्रतिभागियों का वर्ग

श्री कृष्ण ने जोर देकर कहा कि समुदाय-केंद्रित उपाय जैसे लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, साक्षरता पहल और महिला सहकारी समितियाँ आजिविकाओं और जैव-विविधता दोनों को सशक्त बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक संरक्षण तभी सफल होता है जब समुदायों को स्वामित्व, विश्वास और सहभागिता मिले।

प्रो. पांडे ने इस बात पर बल दिया कि जनजातीय परंपराएँ पारिस्थितिक ज्ञान का "जीवंत अभिलेखागार" हैं, जो सतत प्रथाओं को अनुष्ठानों, कला और आध्यात्मिकता में समाहित करती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आधुनिक दबाव इन प्रणालियों को प्रभावित कर रहे हैं और नीति-निर्माताओं से आग्रह किया कि जनजातीय कला को केवल सौंदर्य या सजावट नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में मानें।

डॉ. यादव ने कहा कि भारत की जैव-विविधता जनजातीय संयम, पवित्र उपवनों और प्रजातियों से जुड़े निषेधों पर आधारित प्रथाओं पर फलती-फूलती है। उन्होंने मिशन लाइफ जैसी पहलों में इन सिद्धांतों को शामिल करने और वैश्विक बाजारों में जनजातीय कला को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को एक धागे में पिरोकर ही स्थिरता को नारे से आगे बढ़ाकर एक वास्तविक, व्यावहारिक जीवन पद्धति बनाया जा सकता है।

▶ पूर्व सचिव, संस्कृति और कपड़ा, श्री राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संचालित दूसरा सत्र जिसमें पैनलिस्ट भी शामिल थे

श्री भरत लाल ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत उन समुदायों के प्रति न्याय से होती है, जिन्होंने लंबे समय से पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा की है। उन्होंने ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने वाली सहभागी शासन व्यवस्था की आवश्यकता बताई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 'इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स रिपोर्ट' (2021) का उल्लेख करते हुए उन्होंने नीतियों में जनजातीय ज्ञान को समाहित करने पर बल दिया और यह भी रेखांकित किया कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आधुनिक कौशल विकसित करते हुए सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने वाले महत्वपूर्ण स्थल हैं, यह बताते हुए कि वनों की रक्षा उनके लोगों की रक्षा से शुरू होती है।

'जनजातीय कला और संस्कृति–भविष्य की राह' विषय पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता श्री राघवेंद्र सिंह, पूर्व सचिव, संस्कृति एवं वस्त्र मंत्रालय ने की। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय भारत की सांस्कृतिक संरचना के अभिन्न अंग हैं और यह भी रेखांकित किया कि "जनजाति" की अवधारणा 1901 की जनगणना में औपनिवेशिक निर्मिति थी। उन्होंने ऐसी संकीर्ण व्याख्याओं से आगे बढ़ने का आग्रह करते हुए प्राचीन महाकाव्यों से लेकर दैनिक सामाजिक आदान-प्रदान तक मौजूद लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया। उन्होंने जनजातीय विरासत की समृद्धि और लचीलेपन की अधिक सूक्ष्म समझ विकसित करने की आवश्यकता बताई।

अन्य पैनलिस्टों में श्री पेरियासामी कुमारण, वर्तमान सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय; श्री जनरल फॉरेस्ट और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; तथा डॉ. अल्का पांडे, कला एवं सांस्कृतिक इतिहासकार शामिल थे।

श्री कुमारण ने संस्कृति को भारत की कूटनीति का एक गतिशील स्तंभ बताते हुए कहा कि विशेषकर ग्लोबल साउथ के साथ भारत की भागीदारी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक विरासत, कला और आध्यात्मिकता लंबे समय से भारत के मूल्यों और 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना को विश्व तक पहुँचाती रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सांस्कृतिक कूटनीति वैश्विक संबंधों को मानवीय बनाती है, समान साझेदारों के बीच विश्वास स्थापित करती है और भारत को साझा ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करती है, जहाँ हर सांस्कृतिक आदान-प्रदान शांति और सामूहिक मानवता को सशक्त बनाता है।

श्री अवस्थी ने जोर देकर कहा कि जनजातीय विरासत भारत की पहचान का एक जीवंत हिस्सा है और समुदायों के प्रकृति से गहरे संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आर्थिक असुरक्षा, सांस्कृतिक क्षरण और बौद्धिक संपदा संरक्षण की कमी को प्रमुख चुनौतियों के रूप में रेखांकित करते हुए जनजातीय संस्कृति को अवसर, लचीलेपन और राष्ट्रीय शक्ति के स्रोत के रूप में देखने की जरूरत पर बल दिया।

डॉ. पांडे ने बताया कि भारत की जनजातीय और सांस्कृतिक परंपराएँजो पौराणिक कथाओं, पुरातत्व, बाघ नृत्य जैसे अभ्यासों और पशुपति मुहर जैसे प्रतीकों में प्रतिबिंबित होती हैं लंबे समय से बाघ और वन को सतत सह-अस्तित्व के प्रतीक के रूप में दर्शाती आई हैं। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि आवास क्षरण बढ़ने से यह पूजनीय संबंध कमजोर हो रहा है, जिससे मानव–वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत ने भारत की विशाल विविधता और उसे नैतिक तथा संवैधानिक ढांचे के भीतर एक साथ रखने की क्षमता पर चिंतन किया। उन्होंने विविधता, सम्मान और सह-अस्तित्व जैसे मूल्यों को जीवंत सिद्धांत बताते हुए कहा कि ये एक न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि भारत का पारिस्थितिक संतुलन केवल कानूनों से नहीं, बल्कि उन समुदायों की नैतिक जीवन-शैली से बना है जो प्रकृति को अपना विस्तार मानते हैं। उन्होंने वनों, नदियों और पर्वतों का दोहन करने के बजाय उन्हें पूजनीय मानने की आवश्यकता पर बल दिया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए

▶ भारत के पूर्व राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविन्द, 'साइलेंट कन्वर्सेशन: फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर' प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद जनजातीय कलाकारों के साथ बातचीत करते हुए

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने चेताया कि केवल कानून नैतिक और सांस्कृतिक चेतना का स्थान नहीं ले सकते, जो मनुष्य को उसके पर्यावरण से जोड़ती है। उन्होंने अनुष्ठानों, मौखिक परंपराओं और पारिस्थितिक ज्ञान जैसी अमूर्त विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया ताकि सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता मजबूत हो। उन्होंने स्थानीय पहचान और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति संवेदनशील विकास की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि प्रगति न तो सांस्कृतिक क्षरण का कारण बने और न ही पर्यावरण को हानि पहुँचाए। उन्होंने एनएचआरसी और संकला फाउंडेशन की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया कि भारत के जनजातीय समुदायों की पारिस्थितिक ज्ञान-संपदा, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और कल्याण को पहचानना, संरक्षित करना और बढ़ावा देना आवश्यक है।

▶ जनजातीय जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती पेंटिंग

सम्मेलन का समापन इस साझा संकल्प के साथ हुआ कि जनजातीय समुदायों को ज्ञान के संरक्षक और सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय संरक्षण के भागीदार के रूप में मान्यता दी जाए। इसने पुनः स्थापित किया कि भारत के सतत विकास का मार्ग उसकी जीवंत परंपराओं से ही निकलेगा, जिसमें विरासत, पारिस्थितिकी और मानव गरिमा राष्ट्रीय प्रगति के केंद्र में रहेंगी।

सम्मेलन के साथ ही चार दिवसीय जनजातीय कला प्रदर्शनी 'साइलेंट कन्वर्सेशन: फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर' का आयोजन 9 अक्टूबर 2025 से इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने किया। प्रदर्शनी

▶ प्रदर्शनी में मनुष्य, प्रकृति और वन्य जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाने वाली पेंटिंग्स

का उद्देश्य जनजातीय समुदायों और वनवासियों - विशेषकर भारत के टाइगर रिज़र्वों के आसपास रहने वाले लोगों - की संरक्षण भावना को व्यापक रूप से प्रसारित करना था। इसमें देश के 30 से अधिक टाइगर रिज़र्वों से 250 पेंटिंग्स और शिल्पकृतियों का संग्रह प्रस्तुत किया गया, जिसे कला प्रेमियों, संरक्षणवादियों, राजनयिकों, नीति-निर्माताओं, प्रकृति प्रेमियों और छात्रों जैसे विविध दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के तहत एक वैधानिक निकाय द्वारा समर्थित किया गया था।

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

एनएचआरसी ने सर्दियों के दौरान बेघर और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय करने का आग्रह किया

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) जलवायु परिवर्तन के कारण आबादी के सबसे कमजोर वर्गों के मानव अधिकार पर पड़ने वाले असंगत प्रभावों को स्वीकार करता है। देश में चरम मौसम की घटनाओं और आने वाली शीत लहर से सबसे कमजोर आबादी की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, आयोग ने 19 राज्य सरकारों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से एहतियाती कदम उठाने और राहत उपाय करने का आग्रह किया है। इन उपायों का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों, विशेषकर नवजात शिशुओं, बच्चों, गरीबों, बुजुर्गों, बेघरों, निराश्रितों और भिखारियों की रक्षा करना होना चाहिए, जो आश्रय और संसाधनों की कमी के कारण जोखिम में हैं। संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का आग्रह करते हुए, आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रोंके प्रशासनों से शीत लहर के दौरान अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

अपने पत्र में, आयोग ने 2019 और 2023 के बीच 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएँ' शीर्षक वाली राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्टों का उल्लेख किया, जिसमें बताया गया है कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रोंमें शीत लहरों के कारण कुल 3,639 लोगों की मृत्यु हुई। ये मौतें उत्तर प्रदेश (797), पंजाब (734), बिहार (589), झारखंड (515), हरियाणा (320), राजस्थान (165), मध्य प्रदेश (113), हिमाचल प्रदेश (99), उत्तराखंड (79), गुजरात (59), महाराष्ट्र (50), छत्तीसगढ़ (26), सिक्किम (14), ओडिशा (10), त्रिपुरा (2), पश्चिम बंगाल (1), अरुणाचल प्रदेश (1), आंध्र प्रदेश (1), नागालैंड (1), लद्दाख (58), जम्मू और कश्मीर (3), दिल्ली (1) और चंडीगढ़ (1) में हुई।

इसलिए, शीत लहरों के प्रभावों को कम करने के लिए निवारक उपाय अपनाने का आह्वान करने के अलावा, आयोग ने इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देशों को लागू करने का भी आह्वान किया है। इनमें शामिल हैं:

- उपचार प्रोटोकॉल स्थापित करना;
- दिन और रात के आश्रय स्थल स्थापित करना;
- सर्दी से संबंधित बीमारियों के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान करना और मानक उपचार प्रक्रियाओं को लागू करना; और
- राहत प्रयासों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना तथा उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना।

स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु मीडिया रिपोर्ट्स एक अत्यंत उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने ऐसे कई मुद्दों का स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को राहत पहुँचाई है। अक्टूबर 2025 के दौरान, आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 09 मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट के लिए नोटिस जारी किए गए। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

आईसीयू में आग लगने से मरीजों की मौत

(केस संख्या 3237/20/14/2025)

6 अक्टूबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि राजस्थान के जयपुर स्थित सरकारी सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने से आठ मरीज़ों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में हुई इस दुखद घटना ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य तंत्र की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी की है। रिपोर्ट में पीड़ितों के परिजनों को दिए गए मुआवज़े (यदि कोई हो) की स्थिति भी शामिल होने की अपेक्षा है।

पुलिस हिरासत में यातना

(केस संख्या 1221/6/21/2025)

7 अक्टूबर 2025 को मीडिया में खबर आई कि 1 सितंबर 2025 को गुजरात के राजकोट जिले के गांधीग्राम पुलिस स्टेशन में 17 साल के एक लड़के को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना 6 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया पर इस अत्याचार का एक वीडियो सामने आने के बाद संज्ञान में आई। वीड़ियो में एक पुलिस अधिकारी को लड़के के सिर से बाल खींचते हुए देखा जा सकता है, जबकि अन्य पुलिसकर्मी हँस रहे थे। आयोग ने गुजरात के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

पटाखा निर्माण यूनिट में विस्फोट

(केस नं. 2173/1/31/2025)

8 अक्टूबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा जिले के कोमारीपालेम गाँव में एक पटाखा निर्माण यूनिट में हुए विस्फोट में सात मज़दूरों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में निर्माण यूनिट के मालिक की भी मौत हो गई। आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पीड़ितों के परिजनों को दिए गए मुआवज़े (यदि कोई हो) की स्थिति भी शामिल होने की अपेक्षा है।

कथित पुलिस बर्बरता के कारण मौत

(केस नं. 3106/12/0/2025)

11 अक्टूबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि मध्य प्रदेश में अलग-अलग घटनाओं में पुलिस की बर्बरता के कारण दो लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में, 9-10 अक्टूबर 2025 की दरम्यानी रात को भोपाल जिले में एक पार्टी से लौटते समय दो कांस्टेबलों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 22 वर्षीय बी.टेक अंतिम वर्ष के छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित और उसके दोस्तों ने सड़क पर एक बोतल तोड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उसके दो दोस्त भागने में कामयाब रहे, जबकि पीड़ित को पकड़ लिया गया और कथित तौर पर उसकी पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में एक कांस्टेबल युवक को डंडे से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है।

दूसरी घटना में, 9 अक्टूबर 2025 को अशोकनगर ज़िले के बमुरिया गाँव में अवैध शराब की तलाश में पुलिस द्वारा पकड़े जाने और उसकी पिटाई करने के बाद एक 45 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर मौत हो गई। उसके परिवार ने कथित तौर पर दावा किया कि मारपीट के बाद, पुलिसकर्मियों ने उसे पानी से भरे गड्ढे में डुबोकर मार डाला, जबकि पुलिस का कहना है कि वह भागने की कोशिश में गड्ढे में गिर गया था। आयोग ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में दोनों मामलों की जाँच की स्थिति शामिल होने की अपेक्षा है।

भूमिगत सीवर की सफाई करते समय मौत

(केस संख्या 2962/12/38/2025)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 25 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में एक भूमिगत सीवर लाइन की सफ़ाई करते समय ज़हरीली गैसों के कारण एक सफ़ाई कर्मचारी की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी सीवर के अंदर बेहोश हो गए थे। स्थानीय निवासियों ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुँचाया।

आयोग ने मध्य प्रदेश के सतना नगर निगम आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में जाँच की स्थिति और मृतक मज़दूरों के परिजनों और घायलों को दिए गए मुआवज़े (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होना अपेक्षित है।

शिक्षक द्वारा कथित तौर पर पिटाई से एक छात्र की मौत

(केस नं. 1262/34/11/2025)

25 सितंबर 2025 को मीडिया में खबर आई कि झारखंड के हजारीबाग जिले के एक आवासीय विद्यालय में 24 सितंबर 2025 को एक शिक्षक द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के कारण पाँच साल के एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चे के भाई, जो उसी स्कूल में पढ़ता है, ने बताया कि जब उसके भाई ने खाना खाने से इनकार कर दिया तो शिक्षक ने उसके साथ मारपीट की। आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एक आस्था चिकित्सक द्वारा तीन बच्चों को गर्म लोहे से दागा गया

(केस संख्या 2961/12/23/2025)

25 सितंबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक आध्यात्मवेत्ता ने निमोनिया से पीड़ित तीन बच्चों को लोहे की गर्म छड़ से दागा। बताया जा रहा है कि इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि पीड़ित बच्चे निमोनिया से पीड़ित थे और उनके शरीर पर जलने के निशान थे। आयोग ने झाबुआ के ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर एक कर्मचारी की मौत

(केस संख्या 4943/30/0/2025)

25 सितंबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर एक मज़दूर की 10 फीट की ऊँचाई से गिरकर मौत हो गई। उसे एक ठेकेदार ने निर्माण कार्य के लिए काम पर रखा था। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से खून के धब्बे हटाने की कोशिश की गई थी। आयोग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष और आईजीआई हवाई अड्डा यूनिट, दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मृतक मज़दूर के परिजनों को दिए गए मुआवज़े, यदि कोई हो, की स्थिति भी पूछी गई है।

बिजली का करंट लगने से बच्चों की मौत

(केस संख्या 2963/12/22/2025)

25 सितंबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक दुर्गा पूजा पंडाल में खेलते समय 8-10 साल के दो बच्चों की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना एक दिन पहले हुई जब पीड़ित बच्चे एक लोहे के पाइप के संपर्क में आ गए। कार्यक्रम के आयोजकों ने बिजली

के तारों को लापरवाही से जोड़ा था। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

होर्डिंग गिरने से मजदूरों की मौत

(केस नं.1200/6/1/2025)

29 सितंबर 2025 को, मीडिया में खबर आई कि गुजरात के अहमदाबाद के बोपल इलाके में एक सात मंजिला इमारत की छत से एक होर्डिंग गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया है कि 27 सितंबर 2025 को, लगभग 15 मजदूर एक आवासीय इमारत की छत पर लगभग 80 फीट ऊपर एक होर्डिंग लगा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। गिरने वाले दस मजदूरों में से दो की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य सात को मामूली चोटें आईं। आयोग ने गुजरात सरकार के मुख्य सचिव और अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

पत्रकारों पर हमले

(केस संख्या 779/11/5/2025,42/14/10/2025 और 50/23/4/2025)

मीडिया ने 30 अगस्त 2025 को केरल और मणिपुर में तथा 21 सितंबर 2025 को त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तीन पत्रकारों पर हमले की सूचना दी। तीनों मामलों में आयोग ने इन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कथित तौर पर, त्रिपुरा के पत्रकार पर कुछ बदमाशों ने लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया, जब वह पश्चिमी त्रिपुरा के हेज़ामारा इलाके में एक राजनीतिक दल द्वारा आयोजित वस्त्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उनकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई।

मणिपुर में सेनापति ज़िले के लाई गाँव में एक पुष्प उत्सव की कवरेज कर रहे पत्रकार पर हमला हुआ। उन्हें एयर गन से दो गोलियाँ मारी गईं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

केरल में, इडुक्की के थोडुपुझा के पास मंगट्टुकवाला पहुँचते ही एक पत्रकार पर लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। वह एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों ही मामलों में पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले दर्ज किए गए।

एक दिव्यांग आरटीआई कार्यकर्ता की मृत्यु

(केस संख्या 1236/6/1/2025)

15 अक्टूबर 2025 को, मीडिया ने बताया कि एक दिव्यांग आरटीआई कार्यकर्ता को 12 अक्टूबर 2025 को गुजरात के थराड जिले में उसके आवास के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण के बाद एक नहर में मृत पाया गया। कथित तौर पर, पीड़ित का शव 14 अक्टूबर 2025 को नहर में पाया गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित ने स्थानीय बिल्डरों द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के तहत झुग्गी पुनर्विकास परियोजना में जाली लाभार्थी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करने और अन्य अनियमितताओं के बारे में अधिकारियों से शिकायत की थी। आयोग ने गुजरात के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राहत के लिए सिफारिशें

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की प्राथमिक ज़िम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफ़ारिश करना है। यह नियमित रूप से विभिन्न मामलों की सुनवाई करता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफ़ारिशें देता है। अक्टूबर में 2025 तक, सदस्य पीठों द्वारा प्रतिदिन लिए गए मामलों के अलावा, पूर्ण आयोग द्वारा 15 मामलों और खंडपीठ-II द्वारा 146 मामलों की सुनवाई की गई। तीन मामलों में पीड़ितों या उनके निकटतम परिजनों (NoK) के लिए 15 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई। जिसमें पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकार का उल्लंघन किया है या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती है। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस नंबर	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	954/6/12/2019-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	गुजरात सरकार
2.	3194/7/3/2022-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	हरियाणा सरकार
3.	4460/18/3/2022	पुलिस हिरासत में लापरवाही के कारण मौत	5.00	ओडिशा सरकार

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

अक्टूबर 2025 के दौरान, आयोग ने छह मामलों को या तो अनुपालन रिपोर्ट और लोकप्राधिकारियों से भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियां/निर्देश देकर बंद कर दिया। आयोग की सिफ़ारिशों पर पीड़ितों या उनके निकटतम परिजनों (NoK) को 19.5 लाख रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस नंबर	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	515/34/20/2022	हिरासत में यातना	1.50	झारखंड सरकार
2.	3895/18/2/2022	हिरासत में यातना	2.00	ओडिशा सरकार
3.	850/22/5/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	तमिलनाडु सरकार
4.	4902/25/5/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल सरकार
5.	17852/24/55/2024	बिजली का झटका लगने से मौत	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
6.	1692/34/6/2022	शिक्षक द्वारा अपमानित किये जाने के बाद छात्र द्वारा आत्महत्या	1.00	झारखंड सरकार

केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य प्राधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि पीड़ितों के मानव अधिकार का उल्लंघन उनकी गैरकानूनी कार्रवाई, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ था। इसलिए, मामला-दर-मामला आधार पर, आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को आर्थिक राहत देने की सिफारिश क्यों न की जाए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के राज्यों के दृष्टिकोण की खूबियों ने आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को आर्थिक राहत देने की सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया। आयोग को संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपनी सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

विचाराधीन कैदी की आत्महत्या

(केस संख्या 2754/7/1/2022-एडी)

मामला 2022 में हरियाणा के अंबाला स्थित केंद्रीय कारागार में बंद एक 26 वर्षीय विचाराधीन कैदी की आत्महत्या से संबंधित था। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त नोटिसों के आधार पर, आयोग ने पाया कि कैदी ने दिनदहाड़े जेल के बाथरूम में लोहे की सलाखों से लटककर आत्महत्या कर ली, जो अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए, यह अनुशंसा की गई कि हरियाणा सरकार पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करे, जिसका भुगतान कर दिया गया है। आयोग को यह भी बताया गया कि दोषी जेल अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है।

एक सजायाफ्ता कैदी द्वारा आत्महत्या

(केस संख्या 850/22/5/2021-जेसीडी)

यह मामला 2021 में तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा पाए एक कैदी की आत्महत्या से संबंधित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नोटिसों के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकार्डस के आधार पर, आयोग ने पाया कि पीड़ित ने जेल परिसर में आत्महत्या का प्रयास किया और कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोयंबटूर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने पाया कि यदि जेल कर्मचारी सतर्क होते, तो दोषी द्वारा आत्महत्या को टाला जा सकता था। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि तमिलनाडु सरकार पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करे, जिसका भुगतान कर दिया गया है।

यातना के कारण मौत

(केस संख्या 1185/20/27/2021-एडी)

यह मामला 2021 में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा पुलिस थाने में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत से संबंधित था। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि पीड़ित को उसके भाई के साथ भूमि विवाद के सिलसिले में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। उसे थर्ड-डिग्री टॉर्चर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि

राजस्थान सरकार पीड़ित के परिजनों को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि दे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

पुलिस हिरासत में आत्महत्या से मौत

(केस संख्या 8/19/19/2017-पीसीडी)

यह मामला 2017 में पंजाब के सदर तरनतारन पुलिस स्टेशन की हिरासत में एक व्यक्ति की आत्महत्या से संबंधित था। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि पुलिस लॉक-अप के अंदर पीड़िता की आत्महत्या जेल कर्मचारियों की लापरवाही का संकेत है। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि पंजाब सरकार ने पीड़ित के निकटतम परिजन को 3 लाख रुपये की राहत राशि दी।

पुलिस हिरासत में मौत

(प्रकरण संख्या 10779/24/38/2020-एडी)

यह मामला पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत से संबंधित था।उत्तर प्रदेश के जालौन में कोतवाली पुलिस द्वारा 2020 में की गई हत्या। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि मौत का कारण पुलिस का अत्याचार था, जबकि पुलिस का दावा था कि यह आत्महत्या का मामला था। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त नोटिसों के जवाब में प्राप्त सामग्री के आधार पर, यातना का आरोप सही नहीं पाया गया। हालाँकि, आयोग ने पाया कि यदि पुलिसकर्मी सतर्क होते, तो पीड़िता की आत्महत्या टाली जा सकती थी। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करे।

घटना स्थल पूछताछ

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) समय-समय पर मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की घटना स्थल जाँच करने के लिए जाँच अधिकारियों की अपनी टीम नियुक्त करता है। अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित घटना स्थल जाँच की गई:

केस संख्या 1395/13/19/2020-एडी

6 से 10 अक्टूबर 2025 तक, जेल अधिकारियों द्वारा एक सजायाफ्ता कैदी को प्रताड़ित करने के आरोप की घटना स्थल जाँच की गई। वह महाराष्ट्र के नासिक स्थित केंद्रीय कारागार में अपनी कोठरी में फंदे से लटका हुआ पाया गया, और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था।

केस संख्या 2072/1/15/2025

13 से 16 अक्टूबर 2025 तक, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में कदनुथला गांव के अल्लीमादुगु पंचायत में आरएसआर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में जलभराव के कारण जल निकासी में रुकावट को दूर करने में प्रशासनिक निष्क्रियता के आरोप की घटना स्थल जांच की गई।

केस संख्या 687/11/6/2025

13 से 17 अक्टूबर 2025 तक, केरल के कासरगोड में दो साल से अधिक समय की अवधि में एक रेलवे पुलिस बल कर्मी, एक सहायक शिक्षा अधिकारी, एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और एक राजनीतिक पदाधिकारी सहित 14 व्यक्तियों द्वारा 16 वर्षीय नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोप की घटना स्थल जांच की गई।

केस संख्या 17678/24/72/2025

13 से 17 अक्टूबर 2025 तक, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मौलवी द्वारा 12 वर्षीय लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और निकाह के माध्यम से अवैध रूप से विवाह कराने के आरोप की घटना स्थल ही जांच की गई।

केस संख्या 605/4/26/2025

27 से 31 अक्टूबर 2025 तक बेउर जेल, पटना, बिहार में घोर अनियमितता और भ्रष्ट आचरण के आरोपों की घटना स्थल जांच की गई।

केस संख्या 831/20/19/2024-जेसीडी

28 से 31 अक्टूबर 2025 तक केन्द्रीय कारागार, जोधपुर,राजस्थान में न्यायिक हिरासत में एक दोषी की मृत्यु के संबंध में आरोप की घटना स्थल जांच की गई।

केस संख्या 21075/24/31/2025

27 से 31 अक्टूबर 2025 तक, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस द्वारा उसके बाएं पैर में गोली मारने के आरोप की घटना स्थलपर जांच की गई।

केस संख्या 299/11/14/2025-एडी

27 से 31 अक्टूबर 2025 तक, केरल के वायनाड स्थित कलपेट्टा थाने में एक नाबालिग आदिवासी लड़के की कथित मौत की घटना की घटना स्थलपर जाँच की गई। उसका शव थाने के शौचालय में मिला था और उसकी कमीज़ को फंदे की तरह इस्तेमाल किया गया था।

केस संख्या 18178/24/30/2025

29 से 31 अक्टूबर 2025 तक, उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक अस्पताल में एक छात्रा को समय पर चिकित्सा उपचार उपलब्ध न कराने के कारण संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाने के मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रबंधन और कर्मचारियों द्वारा घोर लापरवाही के आरोप की घटना स्थल जांच की गई।

क्षेत्रीय दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकार की स्थिति और राज्य सरकारों एवं उनके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आयोग के परामर्शों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया जा सके। वे आश्रय गृहों, कारागारों और पर्यवेक्षण गृहों का भी दौरा करते हैं, जहाँ वे सरकारी अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें मानव अधिकार की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। इन दौरों में, राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व पर भी अधिकारियों को प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि इससे आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के शीघ्र समाधान में मदद मिलती है।

22 अक्टूबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मुरुकम्बट्टू स्थित अपोलो विश्वविद्यालय का दौरा किया और लड़कियों के शौचालयों में छिपे हुए सीसीटीवी कैमरे पाए जाने के मामले में कुलपति, प्राचार्य, स्थानीय पुलिस उपाधीक्षक और जाँच अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से जानकारी एकत्र की, जाँच में अनियमितताओं का उल्लेख किया और पाया कि पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने छात्रों और आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों से भी बातचीत की।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी सरकारी गर्ल्स हॉस्टल, दशहरा मैदान, उज्जैन मध्य प्रदेश में दौरा करते हुए

▶ श्री डेसमंड डी'कोस्टा, अध्यक्ष, गोवा एसएचआरसी और श्री समीर कुमार, एनएचआरसी के संयुक्त सचिव, गोवा में मॉडर्न सेंट्रल जेल का निरीक्षण करते हुए

30 अक्टूबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने सुविधाओं और मानव अधिकार की स्थिति का घटना स्थलपर आकलन करने के लिए उज्जैन, मध्य प्रदेश के दशहरा मैदान स्थित सरकारी गर्ल्स हॉस्टल और उत्कृष्ट कन्या शिक्षा केंद्र का दौरा किया। उन्होंने पाया कि भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उपयुक्त कर्मचारियों की उचित व्यवस्था के बिना सरकारी गर्ल्स हॉस्टल की स्थिति बहुत खराब है, जिससे छात्राओं पर असर पड़ रहा है। कर्मचारियों और वार्डन की प्रतिक्रिया असंतोषजनक थी। उन्होंने जिला शिक्षा और चिकित्सा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाया। हालांकि, उन्होंने उत्कृष्ट कन्या शिक्षा केंद्र की स्थिति अच्छी पाई। छात्राओं के बुनियादी अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था उत्कृष्ट थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह केंद्र आदिवासी छात्रों के लिए अन्य छात्रावासों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। सदस्य ने शहर के चिमनगंज स्थित वन स्टाप सेंटर का भी दौरा किया वे इसके समग्र संचालन से संतुष्ट थी। सभी रिकॉर्ड सुलभ थे एवं उनका रखरखाव ठीक से किया जा रहा था।

29 अक्टूबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार, गोवा एसएचआरसी के अध्यक्ष श्री डेसमंड डी'कोस्टा के साथ, कैदियों के लिए सुविधाओं और मानव अधिकार की स्थिति का आकलन करने के लिए आधुनिक सेंट्रल जेल, गोवा का निरीक्षण करने में शामिल हुए।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन तथा उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अधिकृत है। इस उद्देश्य से, यह अपनी पहुँच बढ़ाने और मानव अधिकार के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों रूपों में आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (ओएसटीआई) यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र दिल्ली में अपनी यात्रा और प्रवास का कोई खर्च उठाए बिना इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 2025-2026 के अपने तीसरे ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (ओएसटीआई) का सफलतापूर्वक समापन किया, जिसमें 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 74 विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों ने भाग लिया। इस ओएसटीआई का उद्घाटन महासचिव श्री भरत लाल ने 22 सितंबर 2025 को किया।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने प्रशिक्षुओं को बधाई दी और दो सप्ताह की समृद्ध यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनके समर्पण की सराहना की। न्याय और समानता के संरक्षक के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने महिला अधिकार, बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, हिरासत में न्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में आयोग के कार्यों पर प्रकाश डाला।

मनोविज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, व्यवसाय और मानव अधिकार जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के प्रभावशाली सत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, श्रीमती विजया भारती सयानी ने इंटर्नशिप के दौरान प्रदान की गई व्यापक शिक्षा की प्रशंसा की। प्रेरक उदाहरणों का हवाला देते हुए, उन्होंने प्रशिक्षुओं से व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करने, मानवीय गरिमा के सक्रिय रक्षक बनने और अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें सतर्क रहने, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने और एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। मानव अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित सत्रों के अलावा, प्रशिक्षुओं को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल, एक पुलिस स्टेशन और आशा किरण आश्रय गृह का वर्चुअल दौरा भी कराया गया। उन्हें विभिन्न सरकारी संस्थाओं के कामकाज, मानव अधिकार के रक्षा तंत्र, जमीनी हकीकत और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी दी गई।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी ओएसटीआई के समापन सत्र को संबोधित करती हुईं

प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 4 अक्टूबर 2025 को, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन , अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने तमिलनाडु के चेन्नई स्थित सस्त्रा, डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आयोग के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने औपनिवेशिक पागलपन कानूनों से लेकर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 तक भारत के सफर का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि धन या पद अवसाद से नहीं बचा सकते। छात्रों के संघर्षों और आत्महत्याओं की घटनाओं का उल्लेख करते हुए, उन्होंने दृढ़ता का आह्वान किया और शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और संस्थानों से अधिकार-आधारित मानसिक स्वास्थ्य ढाँचे के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना केवल एक कानूनी कर्तव्य नहीं, बल्कि एक साझा नैतिक ज़िम्मेदारी है। लगभग 220 छात्रों ने भाग लिया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन चेन्नई, तमिलनाडु में डीम्ड यूनिवर्सिटी के सत्र में 'मानसिक स्वास्थ्य को समझना' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

▶ प्रतिभागियों का वर्ग

- 7 अक्टूबर 2025 को, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, बांदरदेवा, अरुणाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सहयोग से पुलिसकर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोग के अन्वेषण प्रभाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हरि लाल चौहान ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने मानव अधिकार के संवर्धन और संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने ज़मीनी चुनौतियों के बीच पुलिसिंग करते हुए मानव अधिकार का सम्मान करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- 29 अक्टूबर 2025 को, गोवा लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से गोवा में मानव अधिकार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने मानव अधिकार के विभिन्न पहलुओं और मानव अधिकार के संवर्धन एवं संरक्षण में आयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने आयोग की कुछ पहलों और गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

▶ एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार जीआईपीएआरडी में मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

सहयोगात्मक सम्मेलन

- 30 अक्टूबर 2025 को, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि , सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'पर्यावरण संरक्षण से जलवायु न्याय तक: भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति के अधिकार की व्याख्या' के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। यह सम्मेलन पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सहयोग से आयोजित किया गया था। उन्होंने मानव अधिकार और पर्यावरण संरक्षण के बीच गहरे अंतर्संबंध पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता पर बल दिया।

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बीआर षड़ंगि राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

- 31 अक्टूबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने आयोग द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय संगोष्ठी, 'बाधाओं को तोड़ना: दिव्यांगता अधिकार के लिए जागरूकता और समर्थन' के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। यह संगोष्ठी मुस्कान फाउंडेशन, हज़ारीबाग, झारखंड द्वारा आयोजित की गई थी। उन्होंने एक समावेशी समाज के महत्व पर ज़ोर दिया, जिसमें दिव्यांगजनों सहित प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दिया जाए और समान अवसर प्रदान किए जाएँ।

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगि झारखंड के हजारीबाग में 'ब्रेकिंग बैरियर: अशक्तता के अधिकारों के लिए जागरुकता और समर्थन' विषय पर सेमिनार को संबोधित करते हुए

ज्ञानार्जन दौरे

- 6 अक्टूबर 2025 को, पंजाब के गोबिंदगढ़ स्थित आरआईएमटी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के 39 छात्रों और तीन संकाय सदस्यों ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें मानव अधिकार को बढ़ावा देने और संरक्षण देने की दिशा में आयोग की कार्यप्रणाली के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी दी।

- 9 अक्टूबर 2025 को, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन , अध्यक्ष, एनएचआरसी इंडिया ने छात्र संसद के बैनर तले अपने 'इंटर्न नेशन लीडरशिप टूर' 2025 के दौरान एचबी कपाड़िया न्यू हाई स्कूल, अहमदाबाद के प्रतिनिधियों के साथ एक पारस्परिक सत्र आयोजित किया।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी

भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानव अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकार के संवर्धन और संरक्षण हेतु इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ संवाद करने और तेज़ी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकार के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाते हैं।

व्यक्तिगत बैठकें

- 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक, एनएचआरसी, भारत, संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक; एसएसपी, श्री हरि लाल चौहान एवं उप रजिस्ट्रार (विधि), श्री मुकेश ने राउल वॉलनबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ, एशिया पैसिफिक फोरम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस और

▶ एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक; एसएसपी, श्री हरि लाल चौहान और उप रजिस्ट्रार (विधि), श्री मुकेश कार्यशाला में उपस्थित रहे

कोलंबो, श्रीलंका में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'जलवायु-प्रेरित गतिशीलता में मानव अधिकार की निगरानी पर क्षेत्रीय मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम' में भाग लिया।

- 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक, एनएचआरसी, भारत की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीमती इलक्किया करुणागरन और उप रजिस्ट्रार (विधि), श्री इंद्रजीत कुमार ने बैंकॉक, थाईलैंड में एपीएफ और ओएचसीएचआर द्वारा आयोजित 'कार्य में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार: निगरानी, कार्यान्वयन और अच्छे व्यवहार' पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

▶ कार्यशाला में उपस्थित एनएचआरसी, भारत की एसएसपी, श्रीमती इलाक्किया करुणागरन और उप रजिस्ट्रार (विधि), श्री इंद्रजीत कुमार

ऑनलाइन बैठकें

- 1 अक्टूबर 2025 को, सुश्री वर्षा आप्टे, सलाहकार (अनुसंधान) और सुश्री प्रेरणा तारा, कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार, ने 'मानव अधिकारों के लिए खतरा' गलत सूचना' विषय पर सीएफएनएचआरआई वेबिनार में भाग लिया।
- 8 अक्टूबर 2025 को, एनएचआरसी, भारत, संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार और सुश्री प्रेरणा हसीजा, कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार, ने 'व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी कार्य समूह मासिक बैठक' में भाग लिया।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तृत होते आयामों और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, मानव अधिकार का संवर्धन और संरक्षण सदैव एक सतत् कार्य बना हुआ है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारें कार्यपालिका तंत्र की सहायता से जन कल्याण सुनिश्चित करने और मानव अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा, विधायिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएँ भी हैं। देश में एक जीवंत मीडिया भी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राष्ट्रीय आयोग और उनके राज्य समकक्ष भी मौजूद हैं। ये संस्थाएँ अधिकार और कल्याणकारी उपायों के प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं। ये समाज के विभिन्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।इस स्तंभ का उद्देश्य मानव अधिकार की रक्षा और संवर्धन के लिए राज्य मानव अधिकार आयोगों द्वारा की गई असाधारण गतिविधियों को उजागर करना है।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

अक्टूबर 2025 में, हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (एचएसएचआरसी) के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री ललित बत्रा और सदस्य, श्री कुलदीप जैन और श्री दीप भाटिया, कैदियों की जीवन स्थितियों का जायजा लेने, उनसे और जेल अधिकारियों से बातचीत करने के लिए करनाल जिला जेल गए। कैदियों ने कई चिंताएँ व्यक्त कीं, खासकर अपने परिवारों से संपर्क करने में आने वाली समस्याओं के बारे में। अध्यक्ष ने जेल अधिकारियों से उनकी शिकायतों का समाधान करने का आग्रह किया। एचएसएचआरसी ने अधिकारियों से कैदियों की आयु सत्यापन से संबंधित मुद्दों पर भी गौर करने को कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नाबालिग जेल में बंद न हो। कैदियों को व्यावसायिक कौशल हासिल करने और अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इसके अलावा, एचएसएचआरसी अध्यक्ष ने रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित वृद्ध एवं निराश्रित आश्रय गृह का दौरा किया और वहाँ रहने वालों से बातचीत की तथा उनके स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छता एवं अन्य सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया। अधिकारियों को भवन की मरम्मत, पार्क में सुधार, पर्याप्त स्टाफ और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने अधिकारियों से बुजुर्गों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का भी आग्रह किया और सिविल सर्जन को उनके साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञों के दौरे, दवाइयाँ और एम्बुलेंस सेवाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एचएसएचआरसी ने गुरुग्राम स्थित खुशबू वेलफेयर सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का भी दौरा किया और बच्चों और कर्मचारियों से बातचीत की।

इसके अलावा, अध्यक्ष और सदस्यों ने एचएसएचआरसी की वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025 की पहली प्रति राज्य के राज्यपाल प्रो. आशिम कुमार घोष को भेंट की। अध्यक्ष ने उन्हें नवंबर 2024 में इसके पुनर्गठन के बाद से आयोग के कार्यों से अवगत कराया और बताया कि वर्ष के दौरान 5,505 मामलों पर कार्रवाई की गई और 4,548 मामलों का निपटारा किया गया।

एचएसएचआरसी ने पानीपत के एक पब्लिक स्कूल के बस चालक द्वारा दूसरी कक्षा के छात्र की पिटाई और एक विचाराधीन कैदी के भागने से जुड़ी दो कथित घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया। अंबाला सेंट्रल जेल के एक कैदी को हिरासत में कथित तौर पर प्रताड़ित करने के मामले में, हरियाणा राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आयोग (एचएसएचआरसी) ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक से भी हिरासत में कथित तौर पर प्रताड़ित करने के एक मामले में रिपोर्ट मांगी है। भिवानी के सदर पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस अधिकारी द्वारा अवैध हिरासत और धमकी देने के आरोपों पर पुलिस अधीक्षक, भिवानी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

▶ हरियाणा एसएचआरसी ने करनाल जिला जेल का दौरा किया

संक्षेप में समाचार

- 6 अक्टूबर 2025 को, श्रीमती विजया भारती सयानी, सदस्या, एनएचआरसी ने बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 'आंतरिक शिकायत समितियाँ (आईसीसी) - सुरक्षित परिसरों की कुंजी' पर एक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षित और समावेशी परिसर बनाना किसी भी संस्थान के प्रशासन का कर्तव्य है। एक मजबूत आईसीसी संस्थानों की नैतिक अंतरात्मा है, जो सम्मान, विश्वास और समानता को सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि अगर शैक्षणिक संस्थानों में आईसीसी हैं तो यौन उत्पीड़न और संबंधित मुद्दों की कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोका जा सकता है। हालांकि, पॉश अधिनियम 2013 और यूजीसी विनियम 2015 के तहत स्पष्ट अधिदेश के बावजूद, कई संस्थानों ने अभी तक उन्हें स्थापित नहीं किया है। सदस्य ने कहा कि आईसीसी की स्थापना की वैधानिक आवश्यकताओं की अनदेखी करना अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

- एनएचआरसी के महासचिव और सीईओ श्री भरत लाल ने 9-10 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 20-20 निवेश संघ बैठक में मुख्य भाषण दिया। दुनिया भर में सामूहिक रूप से 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करने वाले 46 अग्रणी वैश्विक निवेशकों को संबोधित करते हुए, उन्होंने 'जमीनी स्तर पर सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देना' विषय पर बात की। उन्होंने युवाओं के लिए अवसर पैदा करने, असमानताओं को कम करने और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानव-केंद्रित निवेश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह ध्यान रखना होगा कि विकास कुछ लोगों के लिए नहीं है। मानव अधिकार और पर्यावरणीय स्थिरता निवेश के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस सत्र में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर और भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव-द्वितीय श्री शक्तिकांत दास, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के विशिष्ट प्रोफेसर प्रो. राजा मोहन सहित कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भी भाग लिया। यह बैठक समावेशी और न्यायसंगत विकास, सतत विकास और जिम्मेदार वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

- 15 अक्टूबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और संयुक्त संसदीय सचिव श्री राघवेंद्र सिंह ने संसद भवन परिसर में एक बैठक में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद श्रीमती अपराजिता षड़ंगि ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिनेवा में आयोजित 151वें अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) सत्र में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के लिए प्रवासन, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध से जुड़ी चुनौतियों पर प्रतिक्रिया तैयार करने हेतु इनपुट प्राप्त करना था।

- 17 अक्टूबर को, श्रीमती विजया भारती सयानी, सदस्या, एनएचआरसी ने शिक्षा 'ओ' अनुसंधान विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा में 'सामाजिक स्थिति: मानव अधिकार न्याय तक पहुँच का अगला मोर्चा' विषय पर मुख्य भाषण दिया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बावजूद, गरीबी, जातिगत पूर्वाग्रह और जेंडर असमानता जैसी बाधाएँ कभी-कभी न्याय में बाधा डालती हैं। कई विचाराधीन कैदी कानूनी सहायता या जागरूकता की कमी के कारण कष्ट झेलते हैं और जेलों में यातना सहते हैं। उन्होंने हाशिए पर पड़े समूहों के हितों के लिए एनएचआरसी की समर्थन पर ज़ोर दिया। उन्होंने छात्रों से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14-32 की भावना को आत्मसात करने और मानव अधिकारों के संरक्षक बनने का आग्रह किया। वेदों और उपनिषदों जैसे भारत के प्राचीन ग्रंथ गरिमा और न्याय के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के दृष्टिकोण को समृद्ध बनाने के लिए कानूनी साक्षरता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाना चाहिए।

- 19 अक्टूबर 2025 को, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगि, सदस्य, एनएचआरसी ने ओडिशा के कटक में प्रसिद्ध नाटककार स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा की 106वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 22 अक्टूबर 2025 को, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि , सदस्य, एनएचआरसी ने राज्य स्तरीय धन्वंतरि जयंती समारोह और भुवनेश्वर, ओडिशा में आयुर्वेद पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 24 अक्टूबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल ने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें समाज के हाशिए पर पड़े और सबसे कमजोर वर्गों सहित सभी के मानव अधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों से अवगत कराया।

- 24 अक्टूबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने मुख्य अतिथि के रूप में 'विकसित भारत, संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार ' विषय पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया। यह कार्यशाला विश्व मानव अधिकार संरक्षण संगठन द्वारा भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित की गई थी।

- 25 अक्टूबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के गुडीपाडु गाँव में 'पारिवारिक मूल्य और मानव समाज का विकास' विषय पर एक व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में लगभग 200 महिलाएँ, शिक्षिकाएँ और सरकारी अधिकारी शामिल हुए।

- 26 अक्टूबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने नारायणगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना में प्रज्ञा भारती महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 'महिला अधिकार ही मानव अधिकार हैं' विषयक एक परिचर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकार सहित बुनियादी अधिकार का अधिकार है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और समान अवसर प्रदान करना शामिल है। सदस्य ने कहा कि महिलाओं को स्वाभाविक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं, और इन अधिकार को पहचानना और उनका पालन करना उनके सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की कुंजी है। जब महिलाएं अपनी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अवसरों का उपयोग करती हैं और अपने कौशल का उपयोग करती हैं, तो वे अपने परिवारों को मजबूत बनाती हैं और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

- 26 अक्टूबर 2025 को आयोग ने अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए 12वीं कक्षा तक तीन श्रेणियों में 'पर्यावरण' पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया।

- 31 अक्टूबर 2025 को, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की शपथ ली।

- 31 अक्टूबर 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल ने छठे नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में 'युवा उद्यमिता और स्टार्ट-अप गवर्नेंस' पर मुख्य भाषण दिया। इसका आयोजन बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा द्वारा किया गया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की स्टार्ट-अप यात्रा को उचित वेतन, श्रम अधिकार और सभी के लिए आवश्यक समर्थन के साथ श्रमिकों की गरिमा और मानव अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। नवोन्मेषी विचारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ये मूल्य-संचालित स्टार्ट-अप के लिए नए रोज़गार सृजित करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के बीज हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी विचारों को विकसित करने, सार्वजनिक अवसंरचना और निजी निवेश को सक्षम करने के लिए एक त्रि-स्तंभीय शासन संरचना, फलते-फूलते स्टार्ट-अप के लिए महत्वपूर्ण है। यह तालमेल युवाओं को बड़े विचारों को साकार करने और एक सुदृढ़ उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए सशक्त बनाएगा।

  श्री लाल ने कहा कि सच्ची उद्यमशीलता की सफलता नैतिकता और मानव अधिकार पर आधारित होनी चाहिए। स्टार्ट-अप्स को उचित वेतन, मज़बूत श्रम अधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक प्रभाव के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। मूल्यों और नैतिकता के साथ लाभ को नवाचार का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उन्होंने छात्रों से वैश्विक दृष्टिकोण और स्थानीय वास्तविकताओं के साथ स्टार्ट-अप बनाने के अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। सच्चे नेतृत्व के लिए सामाजिक उद्देश्य, निष्पक्षता और अखंडता से प्रेरित उद्यमों की आवश्यकता होती है।

आगामी कार्यक्रम

10 नवंबर 2025 से	आयोग वर्ष 2025-26 के लिए अपना चौथा ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करेगा।
10 दिसंबर 2025	एनएचआरसी, भारत, नई दिल्ली में मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए एक समारोह का आयोजन करेगा।
19 दिसंबर 2025 से	आयोग नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए 4 सप्ताह का व्यक्तिगत शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करेगा।

अक्टूबर 2025 में शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	5,881
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	2,782
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	42,550

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95